


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

परिचीक्षाकाल उपरांत प्रधानाध्यापक-मावि के स्थायीकरण हेतु जारी विभागीय आदेशों क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/3-81 दिनांक 21.02.2022 एवं शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/2-307 दिनांक 09.02.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में जारी स्थायीकरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-3 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संशोधन
I	II	III
1	SANJANA GURJAR SAHID HAWALDAR RAMKARAN SINGH GOVT. SECONDARY SCHOOL BESARDA (486048) JHUNJHUNUN	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश दिनांक 09.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 25.10.2021 के स्थान पर 26.10.2021 पढी जावे।
2	ANUPAMA DAIYA GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL BASHIR (211176) HANUMANGARH	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश दिनांक 21.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 20.10.2021 के स्थान पर 19.10.2021 पढी जावे।
3	ANIL KUMAR DHAKA GOVT. SECONDARY SCHOOL KHOTARI (215561) CHURU	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश दिनांक 21.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 18.10.2021 के स्थान पर 19.10.2021 पढी जावे।
4	SAROJ CHOUDHARY GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL MADHOGARH (464907) JAIPUR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश दिनांक 21.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 17.10.2021 के स्थान पर 18.10.2021 पढी जावे।
5	ARCHANA AGRAWAL SHRI GOMTI PRASAD GOVT. SECONDARY SCHOOL WARD NO 6 GUDRI MOHALLA KUMHER (217162) BHARATPUR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश दिनांक 21.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 18.10.2019 के स्थान पर 18.10.2021 पढी जावे।


शेष शर्त मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/ 56 दिनांक 12.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, राज0, अजमेर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा)।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक-कार्मिक